इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2022—आषाढ़ 3, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आर्यन सेन (ARYAN SEN) 10th मार्कशीट CBSC-ROLL NO-19111574 दर्ज है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम आर्यन कुमार सेन (ARYAN KUMAR SEN) सभी दस्तावेजों में दर्ज हो. भविष्य में मुझे आर्यन कुमार सेन (ARYAN KUMAR SEN) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पूर्व नाम	परिवर्तित नाम
आर्यन सेन (ARYAN SEN)	आर्यन कुमार सेन (ARYAN KUMAR SEN)

(G-1141)

नाम परिवर्तन

मैं श्रीमती प्रीत जैसवानी सर्व साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम सोनम वरयानी पुत्री श्री रमेश वरयानी (SONAM VARYANI D/O SHRI RAMESH VARYANI) था मेरा विवाह सिंधी रिती-रिवाज से दिनांक 07-02-2022 को श्री ईशान जैसवानी आत्मज श्री कमल कुमार जैसवानी के साथ हो गया है शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती प्रीत जैसवानी पत्नी श्री ईशान जैसवानी (SMT PREET JESWANI W/O SHRI ISHAN JESWANI) हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जानी-पहचानी जायें एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सोनम वरयानी)	(प्रीत जैसवानी)

निवासी-165, सेक्टर-1, शक्तिनगर, हबीबगंज
जिला भोपाल (म. प्र.).

(G-1142)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 22-04-2022 को नाम परिवर्तन राजपत्र क्रमांक G-690 द्वारा सुनील विश्वकर्मा के स्थान पर संत हरिओम महाराज प्रकाशन कराया गया था. उक्त को निरस्त कर मेरा नया नाम प्रकाशित करने का कष्ट करें.

आमजन को मैं, सुनील विश्वकर्मा आत्मज श्री लोक नाथ विश्वकर्मा उम्र-39 वर्ष निवासी-जवाहर लाल नेहरू वार्ड नं. 4 ग्राम बिंझला थाना-पाली जिला उमरिया निवासी यह सूचित करता हूँ कि मेरा आधार कार्ड मतदाता पहचान-पत्र और समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेज में सुनील विश्वकर्मा नाम अंकित है मेरे संत होने के उपरांत संत परम्परा अनुसार नाम परिवर्तन उपरान्त मेरा नाम हरिओम महाराज हो गया है और मुझे सभी लोग इसी नाम से जानते और पुकारते भी हैं सभी जन को यह सूचित करने के साथ कि मेरा नाम परिवर्तन होने के उपरान्त हरिओम महाराज हो गया है. इसलिये मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेज में सुधार किया जाकर परिवर्तन नाम हरिओम महाराज अंकित किया जाए सर्व साधारण सूचित हो.

पुराना नाम	नया नाम
(सुनील विश्वकर्मा)	**(हरिओम महाराज)**

(G-1143)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मैं, के. प्रशांत पुत्र श्री चतुर्भुज सिंह (सी. बी. सिंह) निवासी बीसीएम पेराडाईज, इंदौर, अपनी स्वेच्छा तथा सुविधा से अपना नाम केप्रशांत सिंह परिवर्तित कर रहा हूँ. भविष्य में मुझे केप्रशांतसिंह के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(के. प्रशांत)	**(केप्रशांतसिंह)**
K Prashant	KPrashant Singh

(G-1144)

त्रुटिपूर्ण नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश रंसौरे पिता कालू उम्र 59 वर्ष निवासी-137, सॉवरिया विहार कालोनी, बड़वाह तहसील बड़वाह जिला खरगोन (म. प्र.) का निवासी हूँ. मेरी तहसील महेश्वर के ग्राम जामन्या प.ह.नं.-61 में सर्वे नम्बर 51/4 कुल रकबा 1.160 हेक्टर कुल लगान 5.45 रुपये की भूमि के राजस्व पत्रकों में मेरे पिता का नाम कालू की जगह त्रुटिपूर्ण काखु है. मेरे समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आई. डी. कार्ड, कृषि भूमि की रजिस्ट्री, प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम कालू दर्ज है. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

पुराना नाम	नया नाम
(काखु)	**(कालू)**

(G-1145)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साइम मलिक (Saim Malik) पुत्र मो. इकबाल मलिक आयु 29 वर्ष निवासी मकान नं. 10 ऋषि विलास, अब्बास नगर रोड, एयरपोर्ट बाईपास, भोपाल, म. प्र. यह कि मेरी दसवी, बारहवी की अंकसूची व एम. टेक, की अंकसूची एवं डिग्री में त्रुटिवंश मेरा नाम मोह. साइम मलिक (Moh. Saim Malik) दर्ज हो गया जबकि मेरे अन्य दस्तावेज जैसे की आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, पासपोर्ट व बी. ई. की डिग्री व अंकसूची में मेरा नाम सही नाम साइम मलिक (Saim Malik) दर्ज है तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानी स्वयं साइम मलिक (Saim Malik) के ही है. यह कि भविष्य में मेरा नाम साइम मलिक (Saim Malik) ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोह. साइम मलिक)	**(साइम मलिक)**
(Moh. Saim Malik)	(Saim Malik)

H. No. 10. ऋषि विलास अब्बास नगर रोड एयरपोर्ट बायपास, भोपाल.

(G-1146)

नाम परिवर्तन

मैं, राज नागौर पिता श्री प्रदीप कुमार सूर्यवंशी सर्वसाधारण को सूचित करना चाहता हूं कि मेरा नाम मेरे पिता की सर्विस बुक में राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी लिखा गया था जो कि मेरा घर का नाम हुआ करता था. मेरे सभी अंक सूचियों में एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राज नागौर ही लिखा हुआ है मैं इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हू. राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं राज नागौर दोनों मेरे ही नाम हैं. इस गजट प्रकाशन के उपरांत मैं राज नागौर के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. सर्वसाधारण सूचित हो.

पूर्व नाम
(राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी)
पुत्र प्रदीप कुमार सूर्यवंशी

वर्तमान नाम
(राज नागौर)
पिता श्री प्रदीप कुमार सूर्यवंशी

(G-1147)

नाम परिवर्तन

मैं, कु. चन्द्रकला लाड़ पुत्री स्व. श्री विट्ठलराव लाड़ मेरी शादी दिनांक 18-05-1993 को श्री उदय उमड़ेकर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ में विवाह सम्पन्न हुआ. मेरा जो पूर्व में नाम कु. चन्द्रकला लाड़ के नाम से जाना जाता था. वर्तमान में अब मैं श्रीमती सुरभि उमड़ेकर पत्नी श्री उदय उमडेकर के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं. मेरे समस्त कागजातों में मेरा नाम श्रीमती सुरभि उमड़ेकर पत्नी श्री उदय उमडेकर है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(चन्द्रकला लाड़)
पुत्री स्व. श्री विट्ठलराव लाड़

नया नाम
(सुरभि उमड़ेकर)
पत्नी श्री उदय उमडेकर
निवासी-गांधी मार्केट के सामने, राममंदिर
जिला ग्वालियर (म. प्र.)

(G-1148)

नाम परिवर्तन

मैं, बबली (BABALEE) एवं नाहिद जहाँ (NAHEED JAHAN) पत्नी मो. बहीद खा (MO-BAHEED KHA) निवासी मकान नं. 65, सुभाष नगर मोती नगर हुजुर भोपाल म. प्र. यह कि उक्त शपथ-पत्र के माध्यम से मैं यह सिद्ध कर रही हूँ मेरे निकाह नाम पर मेरा प्रचलित नाम नाहिद जहाँ (NAHEED JAHAN) अंकित है. मेरा प्रचलित नाम नाहित जहाँ (NAHEED JAHAN) ही सभी स्थान पर लिखा, पढ़ा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम
बबली (BABALEE)

नया नाम
नाहिद जहाँ (NAHEED JAHAN)

(G-1149)

नाम परिवर्तन

मैं आस्था गोयल (ASTHA GOYAL) पुत्री श्री बंटी गोयल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ की मेरे घर का बोलता नाम रूपाली गोयल था जो मेरे बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं आस्था गोयल (ASTHA GOYAL) पुत्र श्री बंटी गोयल के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्कशीट इत्यादि में लिखा गया है. एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम से ही जानी पहचानी एवं पुकारी जाउंगी. रूपाली गोयल एवं आस्था गोयल (ASTHA GOYAL) दोनों मेरे ही नाम है अत: मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम रूपाली गोयल के स्थान पर आस्था गोयल (ASTHA GOYAL) लिखा एवं पढ़ा जावे आम जन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम
(रूपाली गोयल)

नया नाम
आस्था गोयल (ASTHA GOYAL)
पता:—पुरानी जिन गली नं. 1 के पास मुरैना (म. प्र.)

(G-1150)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता सरोज पत्नि स्व. सहदेव सरोज निवासी-आई-26/5 नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल (म. प्र.) की हूँ. यह कि मेरी सभी अंकसूचियों में मेरा नाम सुनीता कैथवास दर्ज है एवं सभी आई. डी. व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम-सुनीता सरोज दर्ज है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम सुनीता कैथवास दर्ज है. उसके स्थान पर सुनीता सरोज पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(सुनीता कैथवास)

नया नाम
(सुनीता सरोज)

(G-1151)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपचंद पुत्र श्रवण लाल सर्वसाधारण को सूचित करता हूं मेरा नाम दीपचंद पुत्र श्रवण लाल है जो कि मेरे पांचवी एवं आठवीं की अंकसूची में अंकित है. जबकि मेरे सर्विस के रिकॉर्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड में मेरा नाम दीपक गोयल पुत्र श्रवण लाल लिखा हुआ है. जबकि वर्तमान में दीपचंद पुत्र श्रवण लाल के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं और भविष्य में भी इस नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा दीपक गोयल और दीपचंद पुत्र श्रवण लाल दोनों मेरे ही नाम है. अत: मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य में मेरा नाम दीपक गोयल के स्थान पर दीपचंद पुत्र श्रवण लाल लिखा एवं पढ़ा जावे सर्वजन सूचित हो.

पूर्व नाम
(दीपक गोयल पुत्र श्रवण लाल)

वर्तमान नाम
(दीपचंद पुत्र श्रवण लाल)

(G-1152)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे नौ सेना सर्विस रिकॉर्ड मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश हेमन्त (HEMANT) लेखबद्ध हो गया है, जबकि वास्तव में मेरे पुत्र का नाम हार्दिक सिंह कुशवाह (HARDIK SINGH KUSHWAHA) है, जो कि उसके सभी दस्तावेजों/अभिलेख जैसे, जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि में दर्ज है.

अत: मेरे पुत्र को हार्दिक सिंह कुशवाह (HARDIK SINGH KUSHWAHA) के नाम से ही जाना पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
हेमन्त (HEMANT)

नया नाम
हार्दिक सिंह कुशवाह (HARDIK SINGH KUSHWAHA)

(G-1153)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, अंकुश सिंह राठौर (ANKUSH SINGH RATHOR), पिता जैपाल सिंह ठाकुर, निवासी मयूर नगर वार्ड नं. 28 बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट ने अपना पुराना नाम अंकुश सिंह राठौर का त्याग कर नया नाम अंकुश सिंह ठाकुर (ANKUSH SINGH THAKUR), पिता जैपाल सिंह ठाकुर, रख लिया है. मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पुराने नाम अंकुश सिंह राठौर (ANKUSH SINGH RATHOR), के स्थान पर नया नाम अंकुश सिंह ठाकुर (ANKUSH SINGH THAKUR), लिखा व अंकित किया जावें.

अब मैं अपने नये नाम अंकुश सिंह ठाकुर (ANKUSH SINGH THAKUR), के नाम से जाना व पहचाना जाउंगा.

पुराना नाम
(अंकुश सिंह राठौर)
(ANKUSH SINGH RATHOR)
पिता जैपाल सिंह ठाकुर

नया नाम
(अंकुश सिंह ठाकुर)
(ANKUSH SINGH THAKUR)
पिता जैपाल सिंह ठाकुर

(G-1154)

CHANGE OF NAME

I, "Aishwary Maheswari" S/o Shailesh Maheshwari residing at H. No. 7, Raghav Puram, C. P. Colony, Morar, Gwalior-474006, Changed my Name from Old Name "Aishwarya Maheswari" via affidavit Dt. 27-05-2022 Sworn before notary PK Dubey, Gwalior.

Old Name	New Name
(AISHWARYA MAHESHWARI)	(AISHWARY MAHESHWARI)

(G 1155)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गायत्री (Gayatri) पुत्री श्री बंशीलाल दरक निवासी बोरीवली, मुम्बई था. मेरा विवाह श्री प्रमोद कुमार मालू के साथ सम्पन्न होकर मेरा नाम प्रभा मालू पत्नि श्री प्रमोद कुमार मालू निवासी महेश नगर, इन्दौर हो गया है.

अत: समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय कागजात बैंक खाता, आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आई डी कार्ड में मुझे नए नाम प्रभा मालू (Prabha Maloo) पत्नि श्री प्रमोद कुमार मालू से जाना पहचाना एवं पुकारा जावें.

पुराना नाम	नया नाम
(गायत्री)	(प्रभा मालू)
पुत्री बंशीलाल दरक	पत्नि प्रमोद कुमार मालू
Gayatri D/o Banshilal Darak	Prabha Maloo
	W/o Pramod Kumar Maloo

(G-1156)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज सिंह पिता श्री रामवीर सिंह, निवासी ग्राम बिजौली, जिला मुरैना (म. प्र.). यह कि मेरा पूर्व में नाम मनोज राठौर था परंतु त्रुटिवश सभी शासकीय रिकार्ड में सिंह के स्थान पर राठौर सरनेम लिखा गया था. मैं अपने उक्त नाम मनोज राठौर के स्थान पर अब मनोज सिंह अंकित कराना चाहता हूँ. अत: भविष्य में मनोज सिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जाउंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(मनोज राठौर)	(मनोज सिंह)

(G-1157)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम केतकी सोमवंशी पति श्री रविन्द्र सोमवंशी है जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है तथा किर्ति पति रविन्द्र नाम मेरा घरेलू नाम है. जिसे मैं परिवर्तित कर केतकी सोमवंशी पति श्री रविन्द्र सोमवंशी करना चाहती हूं तथा अपने चलित नाम केतकी सोमवंशी पति श्री रविन्द्र सोमवंशी नाम से ही जानी, पहचानी जाउंगी. विदित हो.

पुराना नाम	नया नाम
(किर्ति पति रविन्द्र सोमवंशी)	(केतकी सोमवंशी पति श्री रविन्द्र सोमवंशी)

(G-1158)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी गुप्ता पत्नी स्व. श्री अजय कुमार गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करती हूं की मेरा घर का नाम रूकमणी गुप्ता (RUKMANI GUPTA) था जो मेरे पति की बीमा पॉलिसी के नोमिनि में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं पिंकी गुप्ता के नाम से जानी पहचानी व पुकारी जाती हूं. जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है पिंकी गुप्ता और रूकमणी गुप्ता (RUKMANI GUPTA) दोनों मेरे ही नाम है और भविष्य में भी मैं पिंकी गुप्ता पत्नी स्व. श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी अत: मेरे पति की बीमा पॉलिसी के नोमिनि में मेरा नाम रूकमणी गुप्ता (RUKMANI GUPTA) के स्थान पर पिंकी गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे. आम जन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम
रूकमणी गुप्ता (RUKMANI GUPTA)

नया नाम
(पिंकी गुप्ता)
पत्नी स्व. श्री अजय कुमार गुप्ता
पता:—वार्ड नं. 13 मुरैना रोड, अम्बाह, मुरैना म. प्र.

(G-1159)

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र सिंह (DEVENDRA SINGH) पुत्र श्री निन्दर सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201235527 में मेरा नाम दुविन्दर सिंह (DUVINDER SINGH) लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि वर्तमान व पूर्व में मुझे देवेन्द्र सिंह (DEVENDRA SINGH) पुत्र श्री निन्दर सिंह के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा है. जो सत्य व सही है अत: मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201235527 में मेरा नाम दुविन्दर सिंह के स्थान पर सही नाम देवेन्द्र सिंह (DEVENDRA SINGH) लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(दुविन्दर सिंह)

नया नाम
(देवेन्द्र सिंह)
पुत्र श्री निन्दर सिंह
पता-दौलतपुर, पोस्ट मैना ग्वालियर.

(G-1160)

नाम परिवर्तन

मेरी पक्षकारा सुनीता भार्गव पुत्री श्री बाबूलाल भार्गव निवासी-विजय नगर कॉलोनी आमखो लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा के उपशैक्षणिक दस्तावेजों में अंग्रेजी में SUNEETA BHARGAVA तथा पिता का नाम BABULAL BHARGAVA जो त्रुटिपूर्ण है किन्तु मेरी पक्षकारा का सही नाम अंग्रेजी में SUNITA BHARGAVA तथा पिता का नाम BABULAL BHARGAVA है जो सही है तदानुसार पढ़ा व जाना जावे.

पुराना नाम
(SUNEETA BHARGAVA)
पुत्री श्री-BABULAL BHARGAVA

नया नाम
(SUNITA BHARGAVA)
सूचनाकर्ता—प्रेषक सुनीता भार्गव द्वारा अभिभाषक
गजेन्द्र भार्गव (एडवोकेट)
कार्यालय-निवास-हेदरगंज मामा का बाजार लश्कर ग्वाालियर.

(G-1161)

नाम परिवर्तन

मैं, राधा रघुवंशी पुत्री श्री मुरारी लाल रघुवंशी पता-म. नं. 59 वार्ड नं. 2 ग्राम मोकलवाडा तह. पिपरिया जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) म. प्र. 461775, ने मेरा नाम राधा बाई रघुवंशी से राधा रघुवंशी में बदल दिया है. अतः मुझे राधा रघुवंशी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(राधा बाई रघुवंशी)	**(राधा रघुवंशी)**

(G-1162)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं गजेन्द्र कुमार गोयल पता 119, आनंद-ऋषि नगर देवास (म. प्र.) का निवासी हूं. मेरे पुत्र अनमोल गोयल के शैक्षणिक दस्तावेजों (मार्कशीट) में मेरा नाम गजेन्द्र गोयल (GAJENDRA GOYAL) दर्ज है, जो की गलत है जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम गजेन्द्र कुमार गोयल (GAJENDRA KUMAR GOYAL) है. अतः मेरे पुत्र को नए नाम अनमोल गोयल पिता गजेन्द्र कुमार गोयल (GAJENDRA KUMAR GOYAL) के नाम से जाना पहचाना व संबोधित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनमोल पिता गजेन्द्र गोयल)	**(अनमोल गोयल पिता गजेन्द्र कुमार गोयल)**
(ANMOL S/O GAJENDRA GOYAL)	(ANMOL S/O GAJENDRA KUMAR GOYAL)

(G-1163)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम प्रणिता पंजाबी पिता ब्रिजलाल पंजाबी था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती जिया हिरानी पति पवन हिरानी हो गया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्रणिता पंजाबी पिता ब्रिजलाल पंजाबी	**(जिया हिरानी पति पवन हिरानी)**
निवासी 32/ए पलसीकर कालोनी, इन्दौर	**निवासी 32/ए पलसीकर कालोनी, इन्दौर.**

(G-1164)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है कि मैं धर्मेन्द्र कटारे पुत्र श्री रमेशचंद निवासी मोहनपुरा पांच्यों थाना बीरपुर पोस्ट बीरपुर तहसील बीरपुर जिला श्योपुर मध्यप्रदेश वर्तमान में मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में अभियोजन कार्यालय न्यायालय सबलगढ़ में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं. मेरा पूर्व का नाम धर्मेन्द्र जाटव था और इसी नाम से मैंने सभी प्रकार की शिक्षाऐं ग्रहण कीं तथा आज तक समस्त संव्यवहारों एवं शासकीय सेवा में इसी नाम से जाना जाता हूं. अब मैं अपने पूर्व नाम धर्मेन्द्र जाटव के स्थान पर धर्मेन्द्र कटारे नाम से जाना पहचाना जाऊँगा तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूंगा.

पुराना नाम	नया नाम
(धर्मेन्द्र जाटव)	(धर्मेन्द्र कटारे)

(G-1165)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति रिधि जैसवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा विवाह पूर्व का नाम दिव्या हासानी पुत्री श्री महेश कुमार हासानी (DIVYA HASSANI D/O SHRI MAHESH KUMAR HASSANI) था मेरा विवाह सिंधी रिती-रिवाज से दिनांक 5-12-2021 को श्री करन जैसवानी आत्मज श्री सुभाष जैसवानी के साथ हो गया है शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमति रिधि जैसवानी पत्नी श्री करन जैसवानी (SMT RIDHI JESWANI W/O SHRI KARAN JESWANI) हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जानी-पहचानी जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(दिव्या हसानी)	**(रिधि जैसवानी)**
	निवासी-207, सेक्टर-2, शक्ति नगर, हबीबगंज
	जिला भोपाल (म. प्र.).

(G-1166)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मुझ शपथकर्ता के पुराने दस्तावेजों में नाम सुदामा देवी अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मुझ शपथकर्ता का नाम सुमन यादव अंकित है. यह कि सुदामा देवी एवं सुमन यादव उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं एवं मुझ शपथकर्ता को इन दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाता है. अत: मुझ शपथकर्ता के आगे समस्त दस्तावेजों में नाम सुमन यादव मान्य किया जावे व उपयोग में लिया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुदामा देवी)	**सुमन यादव**

(G-1167)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम उषा शुक्ला (USHA SHUKLA) पुत्री श्री शिव कुमार शुक्ला था, जो कि मेरे पेन कार्ड पर अंकित है, श्री चंद्रप्रकाश नागर से विवाह के उपरान्त मेरा नाम उषा नागर (USHA NAGAR) पत्नी श्री चंद्रप्रकाश नागर हो गया है, जो मेरे वोटर कार्ड पर अंकित है, अत: भविष्य में मुझे उषा नागर पत्नी श्री चंद्रप्रकाश नागर के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उषा शुक्ला)	**(उषा नागर)**
(USHA SHUKLA)	(USHA NAGAR)
	पत्नी-श्री चंद्रप्रकाश नागर
	पता-35/1 पूजा अपार्टमेंट, ग्रेटर तिरूपति कॉलोनी
	इन्दौर (म. प्र.)

(G-1168)

सूचना पत्र

[भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 60 के तहत]

यह कि साझेदारी फर्म टेकमिशन द्वारा अपना पूर्व कारोबार का प्रमुख स्थान-12 प्रेस काम्पलेक्स ए.बी. रोड इन्दौर के स्थान पर नवीन स्थान सर्वे नंबर 105/1, 105/2, 106/2, पटवारी हल्का नंबर 35, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ग्राम बड़ोदिया, सांवेर रोड, तहसील सांवेर जिला इन्दौर (453551) एम. पी. किया गया है.

दिलीप शाह, पार्टनर
टेकमिशन

(G-1169)

सूचना पत्र

[भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 62 के तहत]

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन पता 62, गुमास्ता नगर, इन्दौर साझेदारी फर्म से श्री कृष्णकांत सोमानी ने दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को निवृत्ति प्राप्त कर ली है एवम् सलोनी खटोड़ ने नए भागीदार के रूप में फर्म में दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को प्रवेश किया है. अब फर्म में श्री बसंत खटोड़, सुरभि खटोड़ एवम सलोनी खटोड़ साझेदार हैं.

एतद्नुसार सूचित होवे.

बसंत खटोड़
पार्टनर
मेसर्स श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन.

-(G-1170)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पक्षकार शीतल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जिसके पार्टनर श्री अखिलेश शर्मा व. स्व. बाबूलाल शर्मा एवं श्रीमति दर्शना जैन हैं.

उक्त रजिस्टर्ड फर्म में पूर्व 26-04-2022 में संशोधन किया जाकर श्रीमति दर्शना जैन को स्लीपिंग पार्टनर घोषित किया गया है परिणामस्वरूप फर्म द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्यों की, लेन देन की एवं अन्य शासकीय अर्द्धशासकीय प्रक्रियाओं की जवाबदारी श्री अखिलेश शर्मा की होगी जिसकी कोई जवाबदारी श्रीमति दर्शना जैन की नहीं होगी. यह कि उक्त संशोधित पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार फर्मस् एवं संस्था भोपाल से रजिस्टर्ड किया जावेगा.

यह कि समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय एवं रजिस्ट्रार कार्यालय में श्रीमति दर्शना जैन के हस्ताक्षर के स्थान पर श्री अखिलेश शर्मा हस्ताक्षर कर सकते हैं जो मान्य होगा तथा श्री अखिलेश शर्मा को शीतल स्मार्ट सिटी के फ्लेट्स बेचने का अधिकार भी डीड के माध्यम से दे दिया गया है.

अत: उक्त सूचना सत्य व सही है जिसे मेरे पक्षकार की हिदायत अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है.

अखिलेश शर्मा
PARTNER.
SHEETAL BUILDER & DEVELOPERS

(G-1171)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेंटर फर्म जिसका पता– निरंजनपुर, बॉम्बे आगरा रोड, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 07–04–1976 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक पिता स्व. श्री ताहेर अली मलिक एवं 2. श्रीमति बानो मलिक पति स्व. श्री ताहेर अली मलिक थे. तत्पश्चात् दिनांक 28–05–2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री मुस्तफा मलिक पिता श्री ताहिर अली भागीदारी फर्म मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेंटर में सम्मिलित हो गए हैं तथा 1. श्रीमती बानो मलिक पति स्व. श्री ताहेर अली मलिक भागीदारी फर्म मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेंटर से पृथक हो गई हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेंटर से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे
पार्टनर
मे. सुप्रीम ऑटो सेंटर
(1. श्री बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक)
(2. श्री मुस्तफा मलिक).

(G-1172)

जाहिर सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 72 के अधीन सूचना पत्र)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शीतलनाथ कालोनाईजर्स, जिसका कार्यालय–48, तृतीय तल, जोन क्रमांक –02, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) है जिसका फर्म पंजीयन क्रमांक– 01–01–01–00182–12 है, में से भागीदार (1) श्रीमती रीना जैन पत्नी श्री मुकेश जैन, निवासी–बी–123, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (2) श्री विपिन जैन पुत्र श्री पदम चंद जैन, निवासी–बी.एम.–97, नेहरू नगर, भोपाल, उक्त पंजीकृत फर्म के भागीदारी से दिनांक–21–01–2022 को पृथक् हो गए हैं. सूचना ज्ञात हो.

मेसर्स शीतलनाथ कालोनाईजर्स द्वारा
भागीदार अजय कुमार जैन पुत्र
स्व. श्री रामस्वरूप जैन.

(G-1173)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. श्री भोलेबाबा स्टोन क्रेशर, छतरपुर का पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोयायटी सागर द्वारा पं. क्र. 06–12–01–0051–17 सन् 2017–2018, दिनांक 24–06–2017 से किया गया है. यह कि फर्म की भागीदारी की शर्त अनुसार फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप 5 में दिनांक 08–03–2022 को हस्ताक्षर कर फर्म के भागीदार श्री श्याम प्रकाश खरे आत्मज श्री अयोध्या प्रसाद खरे निवसी–भवन क्र. 302, शांति नगर कालोनी सागर रोड छतरपुर, जिला–छतरपुर (म.प्र.) स्वैच्छा से अपने कार्यो की व्यस्तता के कारण फर्म से लेनदेन का पूरा हिसाब कर विधिवत् भागीदारी समाप्त कर ली है, तथा फर्म में नये भागीदार के रूप में श्री रवि कांत अग्निहोत्री आत्मज श्री हरि ओम अग्निहोत्री निवासी– वार्ड नं0 29, लोकनाथ पुरम, सागर रोड, छतरपुर, जिला–छतरपुर (म.प्र.) दिनांक 08–03–2022 को सम्मिलित हुये है. फर्म के पूर्व भागीदार श्री शशि कान्त अग्निहोत्री निवासी–भवन क्र. 113, वार्ड नं. 5, ग्राम–डिकौली, तहसील–बडामलहरा, जिला–छतरपुर (म.प्र.) फर्म में यथावत है. अतः दिनांक 08–03–2022 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. श्री भोलेबाबा स्टोन क्रशर के नाम से कोई लेन–देन बाकी हो, तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

मे. श्री भोलेबाबा स्टोन क्रशर
(शशिकान्त अग्निहोत्री)
पता–भवन क्र. 113, वार्ड नं. 5, ग्राम–डिकौली,
तहसील–बडामलहरा, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

(G-1174)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैं, माँ वैष्णो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 37 गांधी कॉलोनी मुरैना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 109/10 दिनांक 12–08–2010 है के साझेदारों में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :–

अतः दिनांक 26–01–2022 को वर्तमान में फर्म में निम्न साझेदार हैं :–

(1) श्री विजय सिंह तोमर पुत्र श्री शिशुपाल सिंह तोमर निवासी–37, गांधी कॉलोनी मुरैना (म.प्र.)

(2) श्री दिलीप सिंह तोमर पुत्र श्री शिशुपाल सिंह तोमर निवासी–ए–35, बसंत बिहार ग्वालियर (म.प्र.)– वर्तमान में साझेदार हैं.

उक्त फर्म के की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी का भी कोई ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर संपर्क करे एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावे. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक
(शैलेश कुमार गर्ग)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1175)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/S Vaishya and Mukerji City having head office at New Collectorate Road Sirol, Gwalior (M.P.) is registered Partnership firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No. 02-42-01-00018-14.

On 01.04.2022, Shri Om Prakash Vaishya have retired from the Partnership due to some unavoidable personal reasons and shri Kush Vaishya, Shri Luv Vaishya and Shri Anant Vaishya have been added to the partnership firm w.e.f 01.04.2022 Now the partners of the firm are :

1. Shri Aseem Vaishya
2. Shri Kush Vaishya
3. Shri Luv Vaishya
4. Shri Anant Vaishya

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of Registrar of Firm and Society.

For M/S Vaishya and Mukerji City
(Aseem Vaishya)
Partner

(G-1176)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में रौनक गुरू आर्केड बिल्डर्स एवं डेवलपर्स (M/S ROUNAK GURU ARCADES BUILDERS AND DEVELOPERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 04–17–01–0208–16 दिनांक 13–01–2016 है.

इस फर्म से दिनांक 01–04–2020 से दो भागीदार (1) श्री राकेश कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल निवासी अमरदीप टॉकीज के पीछे अनाज बाजार इतवारी नागपुर तह. एवं जिला नागपुर (महा.) (2) श्रीमति निधि अग्रवाल पति श्री रौनक अग्रवाल निवासी रौनक गुरू आर्केड पूजा शिवी लॉन के पास बंसल कॉलोनी छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो गये हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01–04–2020 से संशोधन उपरांत पाँच साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड न. 05 गांधी गंज छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में स्थित है.

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी

(रौनक अग्रवाल)
पार्टनर
मेसर्स रौनक गुरू आर्केड बिल्डर्स और डेवलपर्स

(G-1177)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अवध ट्रांसफॉर्मस पता–भू–खण्ड क्रमांक–02 ए, सेक्टर आई औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल, (कार्यकालीन पता–एच–23, निशात कॉलोनी, भोपाल) में स्थापित एक औद्योगिक इकाई है जिसका संचालन भागीदारों के रूप में 1. श्री नीरज शुक्ला आत्मज श्री यू.के. शुक्ला 2. श्री संदीप जैन आत्मज श्री एम.के. जैन द्वारा किया जा रहा था. इकाई के भागीदार श्री संदीप जैन की दिनांक 21.05.2019 को मृत्यु होने पश्चात नवीन भागीदारी अनुबंध में भागीदार श्रीमती श्रुति जैन पत्नी स्व. श्री संदीप जैन एवं श्री अमित पांडे आत्मज स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार पांडे को सम्मिलित कर इकाई संचालन की अनुमति चाही गई है. इकाई मेसर्स अवध ट्रांसफॉर्मस में 1. श्री नीरज शुक्ला आत्मज श्री यू. के. शुक्ला 2. श्रीमती श्रुति जैन पत्नी स्व. श्री संदीप जैन 3. श्री अमित पांडे आत्मज स्व. श्री सुरेंद्र कुमार पांडे को इकाई में भागीदारों के रूप में मान्य कर इकाई संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने से यदि किसी जन साधारण, शासकीय/अशासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्थान/बैंक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर ....भोपाल के कार्यालय में ठोस प्रमाण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

मेसर्स अवध ट्रांसफॉर्मस
(नीरज शुक्ला)
भागीदार

(G-1178)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्रीजी कंस्ट्रक्शन पंजीयन क्रमांक 01–01–01–0122/20 दिनांक 21–08–2020 है जिसमें श्रीमति अरूणा चौर्य पार्टनर है जो दिनांक 25–05–2022 से अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत हो गई हैं एवं उक्त कंपनी में दिनांक 25–05–2022 से कृष्णकांत चौर्य नवीन पार्टनर की हैसियत से शामिल किये गए हैं. अब वर्तमान में उक्त फर्म में पार्टनरों की संख्या दो (1) श्री गोविन्द चौर्य पिता श्री तुलाराम चौर्य(2) श्री कृष्णकांत चौर्य पिता श्री तुलाराम चौर्य हैं. अतः सूचित वे.

1. गोविन्द चौर्य
2. कृष्णकांत चौर्य
भागीदार
फर्म :– मेसर्स श्रीजी कंस्ट्रक्शन
भोपाल (म.प्र.)

(G-1179)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मध्यप्रदेश खनिज सप्लाई कंपनी, सतना (म.प्र.) में दिनांक 31 अगस्त 2020 से भागीदार श्री सोम प्रकाश बंसल को उनकी स्वेच्छा से पृथक किया जाता है. ऊपर वर्णित तिथि के पश्चात् पृथक किए गए भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रहेगा. तथा भागीदार श्री राकेश कुमार बंसल, श्री विजय कुमार बंसल, श्री सुरेंद्र सिंह सलूजा और राजेश कुमार जैन को सभी मौजूदा भागीदारों की सहमति से एक नए भागीदार के रूप में भर्ती किया गया है.

शेष पार्टनर्स यथावत फर्म में बने रहेंगे.

मेसर्स मध्यप्रदेश खनिज सप्लाई कंपनी,
भवदीय
श्याम बंसल (भागीदार)
सतना (म.प्र.)

(G-1180)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में पदमश्री डेव्लपर्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 01–04–2020 से एक भागीदार श्रीमति निधि जैन पति श्री अमित जैन निवासी बी.–602 गोदरेज आंनदम वर्ल्ड सिटी गनेश पेंठ नागपुर तह. एवं जिला नागपुर (महा.) निकल रहे है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01–04–2020 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का राजिस्र्टड वार्ड नं. 25 हाउस नं. 306 शान्तिकुन्ज नागपुर रोड़ छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

सर्व साधारण को सूचना हेतु जारी

राजेन्द्र पटोदी
पार्टनर

(G-1181)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल.

क्रमांक 560–अ.वि.अ–वृतगो.–2022.– जैसा कि आवेदक संस्था चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसायटी ट्रस्ट मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16 जून 2022 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसायटी ट्रस्ट म.नं. 3–बी, गोविन्द गार्डन रायसेन रोड भोपाल, मध्यप्रदेश.
न्यास कार्यालय का पता	:	म.नं. 3–बी, गोविन्द गार्डन रायसेन रोड भोपाल, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	10,000/–

मनोज वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-1182)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 07 जून 2022

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 30 की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 813–बी–121–2021–22.– श्रीमती ज्योति सिंह पिता/पति श्री जीवेन्द्र सिंह निवासी अमहा हाउस बोदा रोड रीवा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 1951 का 30 की धारा 4 के अधीन अनुसूचित में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 6 जुलाई 2022 का विचार के लिये जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि गठन वह करती है.

अतः ये पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग हुजूर, जिला रीवा लोक न्यासों पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक

06 जुलाई 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

लोक न्यास का नाम और पता	:	ज्योति जीवेन्द्र चेरिटेबल ट्रस्ट अमहा हाउस बोदा रोड, रीवा.
अचल सम्पत्ति	:	आ.क्र./73/7/2/2 रकबा 0.010 हे.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/–

अनुराग तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-1183)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी, इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. – –रीडर–1–2022. जूनी, इन्दौर, दिनांक 18 मई 2022

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

महोपाध्याय पंडित गणेषदत्त त्रिपाठी शैक्षणिक, धार्मिक पारमार्थिक न्यास , पता– 318, प्रोफेसर कालोनी, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल सम्पत्ति का विवरण)

महोपाध्याय पंडित गणेषदत्त त्रिपाठी शैक्षणिक, धार्मिक पारमार्थिक न्यास , पता– 318, प्रोफेसर कालोनी, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,00,000/– (अक्षरी रुपये ग्यारह लाख रुपये मात्र)

आज दिनांक . . . . .को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1184)

क्र. — —रीडर—1—2022. जूनी, इन्दौर, दिनांक 23 मई 2022

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

ओसीसी वेलफेयर ट्रस्ट , पता– ओसीसी होम रूद्रक्ष बिल्डीग 16, मीरापथ, धेनु मार्केट, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल सम्पत्ति का विवरण)

ओसीसी वेलफेयर ट्रस्ट , पता– ओसीसी होम रूद्रक्ष बिल्डीग 16, मीरापथ, धेनु मार्केट, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/– (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आज दिनांक . . . . .को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1185)

क्र. 136—रीडर—1—2022. जूनी, इन्दौर, दिनांक 05 मई 2022

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री दसनाम गोस्वामी समाज ट्रस्ट, पता– गंगा भारती मठ हरसिद्धी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल सम्पत्ति का विवरण)

श्री दसनाम गोस्वामी समाज ट्रस्ट, पता– गंगा भारती मठ हरसिद्धी, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 13,000/– (अक्षरी रुपयें तेरह हजार मात्र)

आज दिनांक . . . . .को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

(G-1186)

कार्यालय, परिसमापक सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, रमसंगरा, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 8 जून 2022

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत क्रमांक/परि. 2021/1854 पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला टीकमगढ़ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक के नियुक्त किया गया है.

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)
	सामूहिक कृषि सह. समिति मर्यादित रमसगरा	1854- /17-12-2021

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 67 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह की अवधि में प्रमाण सहित मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे. प्रति की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के वटवारे वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके स्वयंमेव मुझे विधिवत माने जायेंगे, उक्त सूचना के पश्चात् किसी सदस्य द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया तो आगामी कार्यवाही की जावेगी, दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय के रिकॉर्ड के आधार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 8 जून 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.

(G-1187)

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्र. परिसमापन-2021-1854

आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2021/1366, टीकमगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2021 द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित रमसगरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसमें त्रुटियां पाई गई जो निम्नानुसार हैः—

1. संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं कर पा रही है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
3. संस्था के संचालन में सदस्यों की रूचि नहीं है.
4. संस्था का पंजीकृत पते पर बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. वर्ष 2020-21 की संस्था के पास प्रकाशित सूची नहीं है क्योंकि समिति उस समय सुपरशीट थी श्री नरेन्द्र खरे प्रभारी थे वर्ष 2011 से 2016 तक संस्था के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है.
6. संस्था में वर्षवार सदस्यता सूची नहीं बनाई गई समिति के नाम भू-अधिकार पुस्तिका (बंदी) की कॉपी प्रमाणित है जो आपके पास दे आये हैं.

7. सामूहिक कृषि सदस्यवार जोत पंजी नहीं बनाई गई है, क्योंकि सभी सदस्य मिलकर सामूहिक खेती करते हैं.

8. समिति सामूहिक कृषि की खेती है रसीद सामूहिक नाम से देते हैं कुछ सदस्यों को दो पैसा कैशबुक में डालते हैं फिर समिति की खेती व जमीन सुधार में लगा देते हैं, हर माह प्रस्ताव डालते हैं एक साल बाद आमसभा बुलाते हैं.

उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में सामूहिक कृषि सहकारी समिति रमसगरा के श्री ठाकुरदास यादव, अध्यक्ष सामूहिक कृषि सहकारी समिति रमसगरा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 29-09-2021 को अपना बिन्दुबार/पदवार जबाब प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:—

1. यह कि कारण बताओ सूचना-पत्र के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन करती है तथा प्रत्येक वर्ष श्रीमान के कार्यालय से संस्था का अंकेक्षण कराया जाता है.

2. कारण बताओ सूचना-पत्र के बिन्दु क्रमांक-2 अमान्य व अस्वीकार है संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है. संस्था के समस्त हितग्राही खुश व प्रसन्न हैं तथा कार्य करते हुये संस्था को अपने समस्त उद्देश्यों को पूर्ण करना है कुछ उद्देश्य पूर्ण हो गये और जो शेष है उसे भी संस्था पूर्ण कर लेगी.

3. पद क्रमांक-3 अमान्य व अस्वीकार है संस्था के संचालन में सभी सदस्यों की रूचि है तथा सभी सदस्य सहकारिता के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तथा सहयोग करते है.

4. पद क्रमांक-4 में लेख अमान्य व अस्वीकार है पंजीकृत संस्था के पते पर बोर्ड लगा हुआ है.

5. पद क्रमांक-5 के लेख अमान्य व अस्वीकार है समिति में वर्षवार सदस्यता सूची नहीं बनाई जाती है समिति के नाम से जो कृषि भूमि है उसकी भू-अधिकार पुस्तिका की प्रमाणित प्रति कार्यालय में श्री रावत जी के पास है.

6. पद क्रमांक-6 के लेख अमान्य व अस्वीकार है वर्ष 2011 से 2016 तक समिति सुपरशीट थी सुपरशीट का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

7. पद क्रमांक-07 के लेख अमान्य व अस्वीकार है समिति की सामूहिक खेती की सदस्यता जोत पंजी बनाई नहीं जाती है क्योंकि सभी सदस्य मिलकर सामूहिक खेती करते हैं जिसका रिकॉर्ड जमा करके कैशबुक में दर्ज रहती है.

8. पद क्रमांक-08 कारण बताओ सूचना-पत्र के पद क्रमांक 08 के लेख अमान्य व अस्वीकार है संस्था सामूहिक कृषि की खेती है रसीद सामूहिक रूप से काटी जाती है सदस्यों का पैसा कैशबुक में डालते है समिति का पैसा खेती व जमीन सुधार में लगा देते हैं हरमाह प्रस्ताव डालते हैं एवं एक साल में आमसभा बुलाते हैं तथा जरूरत अनुसार आमसभा बुलाते हैं.

संस्था द्वारा दिये गये जबाब में कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2021/1366 को निरस्त करने एवं संस्था को परिसमापन में न लाये जाने हेतु निवेदन किया है.

उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र एवं सामूहिक कृषि सहकारी समिति रमसगरा के अध्यक्ष श्री ठाकुर दास यादव द्वारा दिये लिखित कथन व एवं संस्था के मूल अभिलेखों का परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई.

संस्था को शासन द्वारा 22.277 हेक्टेयर लगभग 55 एकड़ भूमि का पट्टा तहसीलदार के हस्ताक्षर से मिला था संस्था ने भू-अधिकार पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की जबकि संस्था उपविधि के नियम 26 (घ)(1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पूरा क्षेत्र एक इकाई के रूप में जोता जाये और काम का बंटवारा समस्त सदस्य में व्यक्तिगत रूप से कर दिया जाये.

संस्था द्वारा कोई सदस्यता सूची संधारित नहीं की है मात्र 52 सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई है. अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि 2011 से 2016 तक का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है उक्त रिकॉर्ड अप्राप्त रहने से 2011 से वर्तमान तक संस्था सदस्यों का सत्यापन नहीं किया गया कितने सदस्य जोड़े गये. साथ ही सदस्य जोड़ने एवं घटाने की प्रक्रिया विधिवत की गई है या नहीं.

संस्था के निम्नलिखित रिकॉर्ड संधारित नहीं किये गये हैं.

1. संस्था की विधिवत संधारित सदस्यता पंजी.
2. आमसभा पंजी.
3. अमानत प्राप्त एवं वापिसी पंजी.
4. मजदूरी पंजी.
5. विधिवत खर्च पंजी एवं व्हाउचर पंजी.
6. फसल विक्रय एवं फसल बंटवारा पंजी.
7. अंशपूंजी पंजी.
8. सदस्यों को कार्य बंटवारा पंजी. (भूमि आबंटन पंजी)

इससे स्पष्ट है कि उपविधि के नियम 28 का उल्लंघन किया गया संस्था के सचिव/प्रबंधक श्री दलपति प्रसाद रैकवार सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित रमसगरा के भी सदस्य हैं एवं दोनों समिति के सचिव/प्रबंधक भी हैं जो निम्नानुसार गलत है इनकी उम्र 81 वर्ष है कोई भी सदस्य कर्मचारी शासन के नियमानुसार 62 वर्ष की उम्र तक ही सेवा कर सकता है.

स्पष्ट है प्रबंधक अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं संस्था द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारी संस्थाऐं टीकमगढ़ को संस्था में विगत 05 वर्षों से किसी अंकेक्षण टीप का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है.

संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य में रूचि न लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. पी. कौशिक उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला टीकमगढ़ म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उक्त कारणों के आधार पर सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित रमसगरा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. के. श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 16-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. पी. कौशिक, उप पंजीयक.

(G-1188)

कार्यालय, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, चंबल संभाग मुरैना (मध्यप्रदेश)

द्वितीय तल, चंबल भवन, ए. बी. रोड़ मुरैना

क्र. विधि-2022-269 मुरैना, दिनांक 10 जून 2022

कारण बताओ सूचना-पत्र

(अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18क)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला मुरैना के पत्र क0/शिका0/2021/1250 दिनांक 03.09.2021 के संलग्न शिकायत गीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या0 नेपरी जांच प्रतिवेदन अनुसार–

1. संस्था सदस्य 1. श्रीमती शैलेन्द्री शुक्ला पत्नी माताराम 2. श्रीमती विमला पत्नी नरोत्तम 3. श्रीमती महादेवी शर्मा 4. श्रीमती मायादेवी 5. श्रीमती सरोज द्वारा जांच के समय दिये गये कथन कि वह गीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या0 नेपरी की सदस्य नहीं हैं, नाम और फोटो कैसे जोड़ा गया जानकारी में नहीं है। स्पष्ट है कि संस्था पंजीयन के समय उक्त सदस्य थे ही नहीं।
2. वर्तमान समय में संस्था सदस्यता आवेदनों के पात्र सदस्यों के निवास पते संबंधित कोई व्यक्तिगत अभिलेख जॉच के समय उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे ऐसा लगता है कि संस्था के समस्त सदस्य संस्था कार्यक्षेत्र में निवास नहीं करते हैं।
3. संस्था की सदस्य सूची का प्रकाशन दिनांक 29.11.2016 को किया गया, जिसमें से क्रमांक 05 वैजन्ती, क0 07 मथुरा, क0 16 गीताबाई के नाम दर्शाये गये हैं, वे सूची प्रकाशन से पूर्व ही फोत हो चुके हैं, में स्पष्ट संस्था के सदस्य के संबंध में संस्था जानकारी नहीं रखती है।
4. संस्था की सदस्य सूची सदस्यता क0 10, 11, 15, 21, 27, 23 एवं 30 महिलायें ग्राम पंचायत नेपरी की निवासी थी। मतदाता सूची वर्ष 2016, 2020 एवं 2021 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, स्पष्ट है, संस्था के सदस्य संस्था कार्यक्षेत्र से बाहर के होने के बाद भी संस्था का सदस्य बनाया गया है।
5. गत वर्षो का पी.डी.एस. कय विकय संबंधी संस्था का रिकार्ड जो संस्था में होना चाहिये, जो रिकार्ड संस्था में नहीं पाया गया है स्पष्ट, संस्था अपने रिकार्ड का व्यवस्थित ढंग से रखरखाव करती है न ही रिकार्ड संधारित किया जाता है।

6. इसके अलावा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नही कर रही हैं। संस्था ने पंजीयन दिनांक से पीडीएस वितरण के अलावा अन्य कोई कार्य एवं व्यवसाय नहीं किया, जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

उपरोक्त आधारों पर संस्था के अस्तित्व को बनाये रखना शासन/सदस्यों के हित में नहीं है। उप आयुक्त सहकारिता जिला मुरैना के पत्र के संलग्न जॉच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत पाया गया गीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या० नेपरी पंजीयन क्र० एआर/एमएनए/1170 दिनांक 16.07.2001 अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अन्तर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है, साथ ही संस्था पंजीयन के समय सदस्यों का कार्यक्षेत्र से बाहर होना व सदस्यों द्वारा सदस्यता से मना करना फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीयन धारा 18(क) में निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतएव म०प्र० शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010–पंद्रह–1–वी दिनांक 23.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं अरविन्द सिंह सेंगर, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं चंबल संभाग मुरैना गीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या० नेपरी पंजीयन क्र० एआर/एमएनए/1170दिनांक 16.07.2021 के अध्यक्ष एवं समस्त संबंधित सदस्यगणों को एतद् द्वारा यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता हूं कि संस्था का पंजीकरण धारा 18 (क) अंतर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जाये। इस संबंध में अध्यक्ष/सदस्य अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 24-06-2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा यह माना जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है, यह मानते हुये आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण सूचना पत्र आज दिनांक 10-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अरविन्द सिंह सेंगर, संयुक्त आयुक्त.

(G-1189)

वनमण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास द्वारा प्रसारित आदेश

आ. क्रमांक-DM-2021-1083 देवास, दिनांक 25 नवम्बर 2021

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को कार्यालयीन चालान क्रमांक 10902 दिनांक 11.12.2014 से आर.डी.एफ. कूप क्र. III हतनोरी में ठुंठ ड्रेसिंग कार्य हेतु (DS 6) एवं आर.डी.एफ. कूप क्र. III चोरमाल में ठुंठ ड्रेसिंग कार्य हेतु (DS 16) हेमर प्रदाय किये गये थे ।

उक्त हेमर कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को हेमर जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये जिसके तारतम्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव द्वारा उनके पत्र क्रमांक/डीएम/2020/1385 दिनांक 22.11.2020 से अवगत कराया गया कि उक्त हेमर श्री इन्दरसिंह रावत वनरक्षक (तत्कालिन बीटगार्ड कालापाठा) को आर.डी.एफ. कूपों में मार्किंग कार्य हेतु प्रदाय किये गये थे एवं उनके द्वारा हेमर जमा नही कराये गये है । हेमर अप्राप्त होने की स्थिति में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/DM/2021/7452 दिनांक 03.09.2021 से श्री इन्दर सिंह रावत वनरक्षक के विरूद्ध लघु शास्ती आरोप पत्र ज्ञापित किया जाकर हेमर जमा कराने के निर्देश दिये गये । जिसके तारतम्य में श्री इन्दर सिंह रावत वनरक्षक द्वारा प्रेषित जबाव में कार्य उपरांत कर्तव्य स्थल से झोले में हेमर रखकर मुख्यालय आते समय मोटर सायकल पर पीछे रखा झोला गिर जाना एवं बहुत तलाश करने पर नही मिलाना एवं चार-पॉच दिन तक ग्रामीणों एवं राहगीरों से पूछताछ करने पर झोला नही मिलना दर्शाया जाकर हेमर गुम हो जाना बताया गया एवं गुम होने की सूचना तत्कालिन परिक्षेत्र सहायक श्री आर.सी. जाटव को दी जाना बताया गया ।

श्री इन्दरसिंह रावत वनरक्षक (तत्कालिन बीटगार्ड कालापाठा) द्वारा की गयी लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पारित की जाती है एवं उक्त दोनों हेमर की किमत रू 1600/- (एक हजार छः सौ मात्र) उनके वेतन से एकमुश्त वसूल की जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त दोनों हैमरों को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमरों को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वनमण्डलाधिकारी.

(G-1190)

वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास द्वारा प्रसारित आदेश

आदेश

आ. क्रमांक-DM-2022-40 देवास, दिनांक 24 जनवरी 2022

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी बागली की बीट पलासी हेतु कार्यालयीन चालान क्रमांक 4455 (DS 86) दिनांक 30.03.1976 से जप्ती हेमर आवंटित किया गया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी बागली द्वारा उनके पत्र क्र./माचि/2021/1823 दिनांक 29.12.2021 से उक्त हेमर के अंक घिस जाने (क्षतिग्रस्त होने से) के कारण ठुंठों पर हेमर का निशान स्पष्टरूप से अंकित नही होना दर्शाया जाकर से हेमर जमा कर नवीन हेमर प्रदाय हेतु मांगपत्र प्रस्तुत किया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर को अपने पास रखता है अथवा प्रयोग में लाते हुये पाया जाता है तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1191)

आ. क्रमांक-DM-2021-173 देवास, दिनांक 14 मार्च 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास को कार्यालयीन चालान क्रमांक 1609 दिनांक 07.03.2022 से आर.डी.एफ. कूप क्र. VI पार्दीखेडा में मार्किंग कार्य हेतु (D-68 DS) हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी हेमर जमा नही कराया जा सका । तदुपरांत् श्री ए.के. श्रीवास्तव उपवनमण्डल अधिकारी इन्दौर (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास) को कार्यालयीन पत्र क्रं/2022/1609 दिनांक 07.03.2022 से उक्त हेमंर जमा कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद लेख किया गया, जिसके तारतम्य में श्री ए.के. श्रीवास्तव उपवनमण्डल अधिकारी इन्दौर (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास) द्वारा उनके पत्र क्रं/सीसी 2/22/752 दिनांक 07.03.2022 से उक्त हेमर तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक सोनकच्छ श्री भीमसिंह सोलंकी, वनपाल को उनके प.स. सर्किल अंतर्गत कूप मे वानिकी कार्यो हेतु सौंपे जाना एवं वर्तमान में किसी कारणवश तत्समय परिक्षेत्र देवास स्तर पर उपरोक्त हेमर उचित रख–रखाव के अभाव में न मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुये उक्त हेमर की मूल एवं दण्ड राशि जमा करने हेतु आदेशित करने बाबद लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री ए.के. श्रीवास्तव उपवनमण्डल अधिकारी इन्दौर (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास) से उक्त हेमर की किमत रू 800/– (आठ सौ मात्र) उनके वेतन से एकमुश्त वसूल की जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1192)

आ. क्रमांक-DM-2021-174 देवास, दिनांक 14 मार्च 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौरद को कार्यालयीन चालान क्रमांक 12337 दिनांक 29.11.2008 से आय.डब्ल्यू.सी. कूप क्र. VI खातामउ घोटामांडली में रिमार्किंग कार्य हेतु (य-7 KD) हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी हेमर जमा नही कराया जा सका । तदुपरांत् श्री ए.के. श्रीवास्तव उपवनमण्डल अधिकारी इन्दौर (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) को कार्यालयीन पत्र क्रं/2022/1607 दिनांक 07.03.2022 से उक्त हेमर जमा कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद लेख किया गया, जिसके तारतम्य में श्री ए.के. श्रीवास्तव उपवनमण्डल अधिकारी इन्दौर (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास) द्वारा उनके पत्र क्रं/सीसी 2/22/750 दिनांक 07.03.2022 से उक्त हेमर तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक चन्द्रपुरा श्री अवधेश प्रताप सिंह, वनपाल को उनके प.स. सर्किल अंतर्गत कूप मे वानिकी कार्यो हेतु सौंपे जाना एवं वर्तमान में किसी कारणवश तत्समय परिक्षेत्र कन्नौद स्तर पर उपरोक्त हेमर उचित रख–रखाव के अभाव में न मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुये उक्त हेमर की मूल एवं दण्ड राशि जमा करने हेतु आदेशित करने बाबद लेख किया गया है।

. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री ए.के. श्रीवास्तव उपवनमण्डल अधिकारी इन्दौर (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) से उक्त हेमर की किमत रू 800/– (आठ सौ मात्र) उनके वेतन से एकमुश्त वसूल की जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1193)

आ. क्रमांक-DM-2022-188 देवास, दिनांक 23 मार्च 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को कार्यालयीन चालान क्रमांक से 5916 दिनांक 05.07.13 से आर.डी.एफ. कूप क्र. I चपलासा में सी.बी.ओं कार्य हेतु (C-72 DS) हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये गये । तदुपरांत् वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव द्वारा उनके पत्र क्रमांक/डी.एम./2022/334 दिनांक 01.03.2022 से उपवनमण्डल अधिकारी देवास के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त हेमर श्री उम्मेद सिंह राठौर सेवानिवृत्त (तत्कालिन प.स. कलवार ए) को प्रदाय किये जाना एवं उनके उनके अधिनस्थ बीटगार्ड किलोदा बी की हैसियत से वनरक्षक श्री विनोद कुमार सिंह पदस्थ थे । उपवनमण्डल अधिकारी देवास द्वारा उक्त हैमर अपलेखित करने एवं उक्त हैमर की किमत वनरक्षक श्री विनोद कुमार सिंह से वसूल किये जाने की अनुशंसा कि गयी ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री विनोद कुमार सिंह वनरक्षक से उक्त हेमर की किमत रू 800/– (आठ सौ मात्र) उनके वेतन से एकमुश्त वसूल की जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1194)

आ. क्रमांक-DM-2022-189 देवास, दिनांक 23 मार्च 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी बागली को कार्यालयीन चालान क्रमांक 12607 दिनांक 01.12.2008 से आय.डब्ल्यू.सी. कूप क्र. VI तुमडीखेडा में मार्किंग कार्य हेतु (B-3 KD) हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी बागली को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये गये । वनपरिक्षेत्र अधिकारी बागली द्वारा उनके पत्र क्रं/2022/माचि/2022/358 दिनांक 15.03.2022 से उक्त हेमर श्री रघुवीरसिंह मौर्य वनरक्षक को से आय.डब्ल्यू.सी. कूप क्र. VI तुमडीखेडा मे वानिकी कार्यों हेतु प्रदाय किया जाना एवं उनके द्वारा जमा नही कराया जाना तथा दिनांक 20.08.2013 को श्री रघुवीरसिंह मौर्य वनरक्षक का निधन होना दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नही है।

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1195)

आ. क्रमांक-DM-2021-229 देवास, दिनांक 11 अप्रैल 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को कार्यालयीन चालान क्रमांक से 5916 दिनांक 05.07.13 से आर.डी.एफ. कूप क्र. II चपलासा में सी.बी.ओं कार्य हेतु (C-85 DS) हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये गये । तदुपरांत् वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव द्वारा उनके पत्र क्रमांक/डी.एम./2022/334 दिनांक 01.03.2022 से उपवनमण्डल अधिकारी देवास के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त हेमर श्री उम्मेद सिंह राठौर सेवानिवृत्त (तत्कालिन प.स. कलवार ए) को प्रदाय किये जाना एवं उनके उनके अधिनस्थ बीटगार्ड किलोदा बी की हैसियत से वनरक्षक श्री विनोद कुमार सिंह पदस्थ थे । उपवनमण्डल अधिकारी देवास द्वारा उक्त हैमर अपलेखित करने एवं उक्त हैमर की किमत वनरक्षक श्री विनोद कुमार सिंह से वसूल किये जाने की अनुशंसा कि गयी ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री विनोद कुमार सिंह वनरक्षक से उक्त हेमर की किमत रू 800/– (आठ सौ मात्र) उनके वेतन से एकमुश्त वसूल की जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1196)

आ. क्रमांक-DM-2021-261 देवास, दिनांक 19 अप्रैल 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को कार्यालयीन चालान क्रमांक से 2111 दिनांक 04.03.14 से आर.डी.एफ. कूप क्र. III चपलासा में सी.बी.ओं कार्य हेतु (A-51 DS) हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये गये । तदुपरांत् वन परिक्षेत्र अधिकारी पानीगांव द्वारा उनके पत्र क्रमांक/डी.एम./2022/334 दिनांक 01.03.2022 से उपवनमण्डल अधिकारी देवास के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त हेमर श्री उम्मेद सिंह राठौर सेवानिवृत्त (तत्कालिन प.स. कलवार ए) को प्रदाय किये जाना एवं उनके उनके अधिनस्थ बीटगार्ड किलोदा बी की हैसियत से वनरक्षक श्री विनोद कुमार सिंह पदस्थ थे । उपवनमण्डल अधिकारी देवास द्वारा उक्त हैमर अपलेखित करने एवं उक्त हैमर की किमत वनरक्षक श्री विनोद कुमार सिंह से वसूल किये जाने की अनुशंसा कि गयी ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री विनोद कुमार सिंह वनरक्षक से उक्त हेमर की किमत रू 800/– (आठ सौ मात्र) उनके वेतन से एकमुश्त वसूल की जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1197)

आ. क्रमांक-DM-2021-330 देवास, दिनांक 10 मई 2022

आदेश

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को कार्यालयीन चालान क्रमांक 10404 दिनांक 03.11.2007 से पार्श्व में अंकित हेमर आर.डी.एफ. कूप क्र. VIII दावतपुरा में मार्किंग कार्य हेतु हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पुर्ण होने के उपरांत जमा नही कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार–बार निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी हेमर जमा नही कराया जा सका। तदुपरांत् श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) को कार्यालयीन पत्र क्र/2021/7450 दिनांक 03.09.2021 से उक्त हेमर जमा कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद लेख किया गया, जिसके तारतम्य में श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) द्वारा उनके पत्र 325 दिनांक 22.04.2022 से उक्त हेमर तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक ननासा श्री रामसिया जाटव, वनपाल को उनके प.स.. सर्किल अंतर्गत आर.डी.एफ. कूप क्र. VIII दावतपुरा में मार्किंग कार्य हेतु प्रदाय किया जाना एवं वर्तमान में किसी कारणवश तत्समय परिक्षेत्र कन्नौद स्तर पर उपरोक्त हेमर उचित रख–रखाव के अभाव में न मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुये उक्त हेमर की मूल एवं दण्ड राशि जमा करने हेतु आदेशित करने बाबद लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) से उक्त हेमर की किमत रू 800/– (आठ सौ मात्र) एक मुश्त वसूली जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उक्त हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पी. एन. मिश्रा, वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

(G-1198)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2022—आषाढ़ 3, शक 1944

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.